कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल – 462004

(ई–मेलः– rcs.audit@mp.gov.in दूरभाष नम्बर 0755–2557052)

क्रमांक/अंके./2/2022/533 भोपाल, दिनांक 10/05/2022

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक**
   म.प्र राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
   भोपाल

2. **जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित**
   समस्त (म.प्र)

विषयः– **सतत् अंकेक्षण हेतु प्रक्रिया का पुनर्निधारण।**

संदर्भः– पत्र क्रमांक/अंके./02/2015/46 भोपाल, दिनांक 27.01.2015 एवं अंके./02/58 दिनांक 28.01.2016

– 000 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों से निर्धारित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं शीर्ष बैंक के सतत् अंकेक्षण के आवंटन की प्रकिया एवं मापदण्डों का अवलोकन करें। सतत् अंकेक्षण की प्रकिया एवं सतत् अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप (स्कोप आफ आडिट) का पुर्ननिर्धारण किया जाकर विस्तृत दिशानिर्देश एवं प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

1. निर्दिष्ट प्रक्रिया का समयावधि में पालन सुनिश्चित किया जावे तथा सक्षम अधिकारिता से यथा आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जावे।

2. सतत् अंकेक्षण के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया में यदि बैंक स्तर से कोई अन्य तथ्य जोड़े जाने आवश्यक हैं तो बैंक प्रबंधन अपने स्तर से जोड़ने के लिए स्वतंत्र है परंतु किन्ही तथ्यों को कम किये जाने या परिवर्तित किये जाने के पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

3. संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं शीर्ष बैंक के द्वारा जिला बैंकों की सतत् अंकेक्षण की प्रक्रिया का संचालन व पर्यवेक्षण सतत रूप से किया जावेगा तथा अनुपालन में यदि कोई कमी पायी जाती है तो उनके स्तर से आवश्यक कार्यवाहियां भी अविलंब सुनिश्चित की जावेगी।

4. संपरीक्षक फर्म की योग्यता, अनुभव एवं अन्य शर्ते संलग्न **परिशिष्ट 01** पर दर्शित है।

5. सतत् लेखा परीक्षण प्रणाली, प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं प्रतिवेदन के अनुपालन से सबंधित शर्ते संलग्न **परिशिष्ट 02** पर दर्शित है।

6. सतत् अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनरीक्षण का प्रारूप संलग्न **परिशिष्ट 03** पर दर्शित है। बैंक एवं संपरीक्षक फर्म स्कोप आफ आडिट को बैंक हित में विस्तारित कर सकते हैं, ताकि बैंक का शतप्रतिशत गुणवत्तापूर्ण आडिट हो सके।

7. शीर्ष बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शुल्क निर्धारण के संबंध में अपने स्तर से निर्णय करने हेतु स्वतंत्र होंगे, परन्तु शुल्क निर्धारण हेतु कारोबार की श्रेणी एवं अधिकतम शुल्क की सीमा संलग्न परिशिष्ट 04 अनुसार होगी।

8. संपरीक्षक फर्मो से आवेदन प्राप्त करते समय परिशिष्ट 01 की कण्डिका 11 का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जावेगा जिला बैंको से शीर्ष बैंक द्वारा एक निश्चित समयावधि में चयनित फर्मो की सूची प्राप्त की जावेगी तथा मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः— **उपरोक्तानुसार**।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र.

क्रमॉक/अंके./2/ 2022/533 भोपाल, दिनॉक 10/05/2022

प्रतिलिपि :—

(1) अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र.शासन
(2) प्रमुख सचिव म.प्र.शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय,भोपाल।
(3) समस्त जिला कलेक्टर म.प्र.।
(4) समस्त, राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय/निज सहायक पंजीयक।
(5) संयुक्त आयुक्त सहकारिता समस्त संभाग म.प्र.।
(6) प्रबंध संचालक, शीर्ष सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल।
(7) समस्त, जिला उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता म.प्र.।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र.

सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों के शीर्ष एवं जिला बैंकों के सतत् अंकेक्षण हेतु सूचीबद्ध होने के लिये योग्यता, अनुभव एवं शर्तें

1. सतत् अंकेक्षक फर्मों के चयन के लिये राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों (जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का होना आवश्यक है) में विज्ञापन प्रसारित कर प्राप्त आवेदनों में से प्रत्येक बैंक स्तर पर सूची तैयार की जावेगी। अंकेक्षण पूर्व तैयारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के 02 माह पूर्व से ही की जावेगी ताकि 01 अप्रैल के पूर्व सतत अंकेक्षक नियुक्त हो सकें।

   (वर्ष 2022–23 के सतत् अंकेक्षण के लिए शीर्ष बैंक एवं जिला बैंक द्वारा संलग्न पैनल में सम्मिलित सनदी लेखापाल फर्मों को आवंटन किया जावे। इसके लिए पुनः पृथक से आवेदन बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी)।

2. सनदी लेखापाल फर्म की योग्यता एवं अनुभव के मापदण्ड सामान्यतः पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी वैधानिक संपरीक्षा हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप रखे जाने चाहिए जिसमें न्यूनतम योग्यता के लिये फर्म में एक एफ.सी.ए.(फेलोशिप चार्टेड एकाउंटेंट) फुलटाईम पार्टनर/प्रोपराईटर होना आवश्यक है।

3. सनदी लेखापाल फर्म का श्रेणीकरण मुख्यालय/शाखाओं के कारोबार के आधार पर किया जाना है। फर्म की श्रेणी का निर्धारण बैंक के कुल कारोबार के आधार पर न किया जाकर शाखा/मुख्यालय के कारोबार के आधार पर पृथक–पृथक किया जाना चाहिए

4. वर्ष 2022–23 के लिये शाखाओं की श्रेणी निम्नानुसार होगी तथा आगामी वर्ष में श्रेणियों के पुनर्निधारण के लिये शीर्ष बैंक द्वारा समय समय पर जानकारी एकत्रित कर अपने स्तर से कार्यवाही की जा सकेगी।

शाखाओं की श्रेणी कारोबार	सनदी लेखापाल फर्म की श्रेणी जिसे अंकेक्षण की पात्रता होगी
0 से 01 करोड़ तक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें	क,ख एवं ग श्रेणी की फर्म
01 से 10 करोड़ तक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें	
10 से 50 करोड़ के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें	
50 से 100 करोड़ के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें	क एवं ख श्रेणी की फर्म
100 करोड़ से अधिक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें–35 **एवं बैंक मुख्यालय**	क श्रेणी की फर्म

5. **किसी फर्म को एक वर्ष में अधिकतम 01 बैंक एवं 03 मुख्यालय/शाखाओं का ही सतत् अंकेक्षण आवंटित किया जा सकता है। अनुपलब्धता की स्थिति में अधिकतम 05 की सीमा में मुख्यालय/शाखाओं का अंकेक्षण आवंटन संभागीय संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति से दिया जा सकता है। किसी एक फर्म को 05 मुख्यालय अथवा शाखाओं के अंकेक्षण आवंटन किये जाने के पश्चात भी यदि बैंक की सभी शाखाओं के लिए फर्म की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो मुख्यालय एवं शाखाओं की उक्त संख्या की अधिकतम सीमा से छूट के संबंध में कार्यालय आयुक्त सहकारिता की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।**

यदि किसी एक ही बैंक के एक से अधिक शाखा/मुख्यालय का आवंटन फर्म को दिया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक श्रेणी की शाखा/मुख्यालय आवंटित किया जावे। अर्थात् एक ही श्रेणी की सभी शाखायें/एक ही फर्म को आवंटित नहीं की जावें।

6. सीसा/डीसा धारी एवं बैंक के कार्य क्षेत्र में स्थित फर्म मुख्यालय/शाखा वाली फर्मों को आवंटन में प्राथमिकता दी जावे। किसी बैंक का मुख्यालय/शाखा का अंकेक्षण आवंटन संपरीक्षक फर्म की उपरोक्तानुसार उपलब्धता न होने पर प्राथमिकता के इसी क्रम में–संभागीय जिला/समीपस्थ संभाग से फर्म का चयन किया जा सकेगा।
7. सनदी लेखापाल फर्म के पास **सहकारी बैंक**/वाणिज्यिक बैंकों का तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
8. सनदी लेखापाल फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, पंजीयक तथा **शीर्ष बैंक के परिपत्रीय** निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
9. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म को दिया गया संपरीक्षा का कार्य किसी अन्य फर्म को इनके द्वारा नहीं दिया जा सकेगा।
10. आवेदक फर्म को कम्पनी अधिनियम की धारा 226 के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
11. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म के किसी साझेदार/निदेशक द्वारा बैक/बैंक की शाखाओं का सांविधिक अंकेक्षण, सतत् अंकेक्षण स्थायी संपत्ति के मूल्यांकन के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये।
12. फर्म को सहकारी बैंक/बैंकों के आंतरिक/सांविधिक अंकेक्षण का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।
13. फर्म के किसी पार्टनर/प्रोपराईटर के बैंक के किसी कर्मचारी/पदाधिकारी/संचालक से पारिवारिक संबंध होने की दशा में उसका आवेदन पत्र में उल्लेख अनिवार्य होगा। **यदि ऐसा पाया जाता है तो फर्म को संबंधित बैंक का अंकेक्षण करने की पात्रता नहीं होगी।**
14. किसी संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को किसी बैंक की निरंतर दो वर्ष से अधिक वर्ष की सतत् संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी। किसी एक लेखा वर्ष में सहकारी बैंक के वैधानिक अंकेक्षक/सलाहकार को उसी संस्था की सतत् अंकेक्षण आवंटित नहीं की जावेगी।
15. **अंकेक्षण आवंटन प्राप्त फर्म के विरूद्ध किसी भी नियामक के स्तर से कोई कार्रवाई की गई है अथवा प्रकियाधीन है तो ऐसी स्थिति में फर्म को ऐसी कार्रवाई के प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस की अवधि में पंजीयक कार्यालय को तथा संबंधित बैंक को सूचित करना अनिवार्य होगा।**

16. **संपरीक्षक फर्म को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक त्रैमास के समाप्ति के पश्चात 07 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रतिवेदन पर पालन प्रतिवेदन बैंक द्वारा अधिकतम 07 दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा, जिस पर संपरीक्षक द्वारा अपना अभिमत अंकित किया जावेगा तथा अंकेक्षक का अभिमत अंकित किया गया प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त आयुक्त को प्रस्तुत किया जावेगा।**

17. संपरीक्षक फर्म को शतप्रतिशत–प्रमाणकों का सत्यापन तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण करना अनिवार्य होगा।

18. एन.पी.ए. प्रावधान, बीमा, लाभ–हानि खाते एवं विभिन्न टैक्स से संबंधित सलाह बैंक को देना होगी।

19. संबंधित अंकेक्षण फर्म द्वारा अभिस्वीकृति पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज 03 प्रतियों में कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), शीर्ष बैंक को सीधे प्रेषित किये जावेंगे–

    i. पार्टनरशिप डीड/ मेमोरण्डम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
    ii. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट के पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
    iii. बैंक द्वारा जारी कार्य आवंटन पत्र की प्रति।
    iv. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार कंपनियों/बैंकों के सांवधिक/समवर्ती /अन्य अंकेक्षण से संबंधित जानकारी की प्रति।
    v. बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिस्वीकृति पत्र (प्रारूप अनुबंध पत्र अनुसार)
    vi. फर्म का आवेदन दिनांक का आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी एफ.सी.सी., फर्म के पार्टनर/सनदी लेखापाल कर्मचारी के मेंबर कार्ड/सीसा–डीसा के प्रमाण–पत्र।
    vii. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, संलग्न करें।

20. <u>अंकेक्षक की नियुक्ति</u> :–

1. फर्म के अंकेक्षण संबंधी अपेक्षित समस्त दस्तावेजों की प्राप्ति के उपरांत आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने के उपरांत बैंक द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जावेगा।
2. बैंक के सतत् लेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति बैंक के संचालक मंडल द्वारा की जावेगी।
3. बैंक द्वारा परीक्षक की नियुक्ति के उपरांत परीक्षक द्वारा अभिस्वीकृति पत्र बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैंक को देना होगा।
4. जिन अंकेक्षण फर्मों का समवर्ती लेखा परीक्षक हेतु चयन किया गया है, उन फर्मों को बैंक द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु पत्र दिया जावेगा।
5. अंकेक्षक फर्म को बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
6. अंकेक्षक को समय–समय पर सभी आवश्यक रिपोर्ट सत्यापित करना होगी। अंकेक्षक को विभिन्न नियामकों को बैंक द्वारा प्रेषित की जाने वाली समस्त विवरणियां एवं इंश्योर पोर्टल पर दर्ज ऑनलाईन जानकारी के सही–सही एवं समय पर प्रस्तुती का परीक्षण

तथा नियामकों से प्राप्त निरीक्षण /रिपोर्ट/ नोटिस /अध्यापेक्षा पर बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाहित करना होगा।

7. नियुक्ति पत्र के साथ सॉफ्ट कॉपी में निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रेषित किये जावेंगे:–

i. आय लिंकेज के क्षेत्रों की जानकारी।
ii. समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप।
iii. विगत 02 वर्षों में जारी किये गये निर्देशों की प्रति।
iv. बैंक/शाखा के गंभीर अनियमितता वाले क्षेत्रों के संबंध में जानकारी, जिनका अंकेक्षक द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश किया जा सके।
v. अंकेक्षक को त्वरित ध्यान देने योग्य बिन्दुओं की सूची।
vi. अंतिम नाबार्ड निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित शाखाओं संबंधी आपत्तियों एवं निराकरण की जानकारी।
vii. अंतिम वैधानिक अंकेक्षण में उल्लेखित शाखाओं संबंधी आपत्तियों एवं निराकरण की जानकारी।
viii. बैंक मुख्यालय अथवा पंजीयक कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उनके अनुपालन की जानकारी।

सतत् लेखा परीक्षण प्रणाली एवं प्रतिवेदन :–

1. सतत् लेखापरीक्षक अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व बैंक प्रबंधन की पारस्परिक सहमति से अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कर बैंक प्रबंधन को एवं संभागीय संयुक्त आयुक्त को प्रस्तुत करेगा जिसमें संबंधित शाखा में अंकेक्षण हेतु फर्म की ओर से उपस्थित होने वाले पार्टनर एवं सहायकों के नाम एवं मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध कराये जावेंगे।
2. शाखा में अंकेक्षण के समय उपस्थित होने वाले संपरीक्षक फर्म के प्रतिनिधि परिचय पत्र अपने साथ रखेंगे तथा छायाप्रति प्रबंधन को उपलब्ध करावेंगे।
3. सतत् लेखा परीक्षक रिपोर्टिंग सीधे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा परन्तु आर्थिक अनियमितता, गबन आदि के संबंध में संभागीय संयुक्त आयुक्त को भी घटना संज्ञान में आने के 03 दिवस की अवधि में सूचित करना अनिवार्य होगा।
4. संपरीक्षक फर्म एवं बैंक प्रबंधन द्वारा समस्त पत्र व्यवहार अनिवार्यतः ई–मेल से किया जाना भी आवश्यक है।
5. निर्धारित स्कोप आफ आडिट अनुसार 100 प्रतिशत अंकेक्षण पूर्ण करना होगा।
6. ड्राफ्ट पैरा की दिनांकवार सूची हेतु पंजी का संधारण किया जावे जिसका परीक्षण बैंक शाखा के भ्रमण के समय संभागीय संयुक्त आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।
7. संपरीक्षक फर्म प्रत्येक त्रैमास के सतत अंकेक्षण उपरांत प्रतिवेदन संचालक मंडल/प्रशासक के समक्ष चर्चा हेतु रखेंगे।
8. सतत लेखा परीक्षक द्वारा साधारण प्रकार की त्रुटियों को शाखा में तत्काल दुरूस्त करवाकर रिपोर्ट में उल्लेख किया जावेगा।
9. परीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितता परिलक्षित होने की स्थिति में सीधे संभागीय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) को पृथक से प्रतिवेदन तैयार कर अवगत कराया जावेगा।
10. सतत् लेखा परीक्षक द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में मासिक आधार पर प्रतिवेदन बैंक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों व सुझावों के अनुपालन व निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जावेगी तथा आगामी माह के सतत् अंकेक्षण की रिपोर्ट तैयार होने के पूर्व संपरीक्षक फर्म को उपलब्ध करायी जावेगी।
12. अंकेक्षण में पाई गई त्रुटियों/आपत्तियों की सूची पृथक से प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य है।
13. सतत् लेखा परीक्षा हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र. द्वारा जारी नीति निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर अंकेक्षण संचालन प्रकिया के संबंध में नये निर्देश जारी किये जायेंगे जिनका पालन करना भी बाध्यकारी होगा।
14. सतत् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन हिन्दी में बैंक को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

15. संपरीक्षक फर्म के सीसा–डीसा धारी पार्टनर/सनदी लेखापाल एम्पलाई की उपस्थिति कार्य–स्थल पर अनिवार्य होगी तथा फर्म के उपस्थित कर्मचारियों को ई–अटेंडेंस भी देना अनिवार्य होगा।
16. सनदी लेखापाल फर्म ऑडिट लॉग–इन व्यू (Audit login View) का एक्सेस दिया जायेगा तथा उनके द्वारा अपने लॉग–इन से किये गये कार्य का मूल्यांकन उक्त लॉग–इन के टेलर रिपोर्ट से की जावेगी। प्रत्येक सनदी लेखापाल फर्म को बैंक की आवंटित कार्य– मुख्यालय/शाखा/प्रशिक्षण केन्द्र में प्रतिमाह न्यूनतम 03 दिवस एवं प्रत्येक त्रैमास में न्यूनतम 10 दिवस कार्य करना आवश्यक होगा।
17. सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में संस्था के समस्त कार्यकलापों का परीक्षण कर तथ्यात्मक टीप अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी।
18. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को पंजीयक द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा लेखा समिति तथा अन्य आमंत्रित बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।
19. प्राधिकृत संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 87 के प्रावधान के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु लोक सेवक समझे जायेगे।
20. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को सतत् संपरीक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त गंभीर अनियमितताओं के संबंध में विशेष प्रतिवेदन पंजीयक को पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
21. संभागीय संयुक्त आयुक्त स्तर पर प्रत्येक त्रैमास में अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत बैंक के पालन प्रतिवेदन पर लेखा समिति की बैठक में विचार किया जावेगा तथा अनिराकृत आक्षेपों पर निर्देश जारी किया जावेगा।
22. सतत् अंकेक्षण द्वारा सीबीएस सिस्टम की कमियों के संबंध में भी पृथक से टीप दी जावेगी।
23. बैंक द्वारा विभिन्न नियामकों को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन/रिपोर्ट की समय पर एवं सही–सही प्रस्तुती के संबंध में भी विवेचनात्मक टीप देना आवश्यक होगा।
24. सीबीएस सिस्टम के अतिरिक्त यदि बैंक में कोई मैन्युअल कार्य किया जा रहा है तो इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी देना आवश्यक होगी।
25. फर्म को बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में नाबार्ड/आरबीआई द्वारा निर्धारित मुख्य वित्तीय सूचकों/लेखा अनुपातों का पत्रक भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
26. फर्म के द्वारा यदि अंकेक्षण हेतु आवेदन दिया गया है तथा आवंटन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तब ऐसी स्थिति में यदि अंकेक्षण कार्य करने से मना किया जाता है तो संबंधित फर्म को 03 साल के लिये प्रदेश की समस्त सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण तथा अन्य कार्यों से मुक्त रखा जा सकेगा।
27. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, तथा विभिन्न नियामकों द्वारा जारी किये गये परिपत्रीय व्यवस्था में भविष्य में किए गए परिवर्तनों नवीन निर्देशों का भी अनुपालन बैंक तथा संपरीक्षक फर्म को करना अनिवार्य होगा।

सतत् लेखा परीक्षक फर्म के पारिश्रमिक निर्धारण से संबंधित दिशा–निर्देश

1. सतत् लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जावेगा तथा भुगतान सतत् अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुपालन पर संबंधित फर्म के अभिमत अंकित होने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर किया जावेगा।
2. शुल्क का भुगतान करने के पूर्व बैंक प्रबंधन द्वारा यह पुष्टि की जावेगी कि संपरीक्षक द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के तहत तथा निर्दिष्ट समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपालन की स्थिति में फर्म का अनुबंध निरंतर रखे जाने के संबंध में पुर्नविचार कर निर्णय लिया जावे।
3. अंकेक्षण शुल्क की शर्तों में प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत होने पर शुल्क कटौती का प्रावधान भी रखा जावे।
4. मुख्यालय/शाखा के व्यवसाय के आधार पर शुल्क का निर्धारण बैंक द्वारा संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा। व्यवसाय की श्रेणियां निम्नानुसार होंगी

    (1) 0 से 01 करोड़ तक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें–
    (2) 01 से 10 करोड़ तक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें–
    (3) 10 से 50 करोड़ तक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें–
    (4) 50 से 100 करोड़ से अधिक तक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखायें
    (5) 100 करोड़ से अधिक के जमा एवं ऋण वितरण वाली शाखाये एवं मुख्यालय–

5. अंकेक्षण शुल्क की दरें बिन्दु कमांक 4 में उल्लेखित श्रेणियों के लिये पृथक–पृथक निर्धारित की जावेगीं। दरें न्यूनतम राशि रूपये 3000/– तथा अधिकतम राशि रू. 10000/–त्रैमास की सीमा में निर्धारित की जा सकती है।
6. अंकेक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण बैंकों के संचालक मंडल में प्रस्ताव पारित कर लिया जावेगा तथा भविष्य में अधिकतम सीमा में यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो शीर्ष बैंक स्तर से 03 वर्षों की तुलनात्मक जानकारी एवं अन्य राज्यों तथा वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रचलित दरों के अध्ययन के उपरांत पंजीयक कार्यालय के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा।
7. अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण विगत 03 वर्षों की अंकेक्षण शुल्क की दरों के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण के साथ किया जावे।
8. शुल्क निर्धारण के लिए संचालक मंडल का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।